

क्षेत्र का अग्रणी मीडिया समूह से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें- 9256695106

चक्रवात अर्नब तेजी से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा

● 16 जिलों में अलर्ट , ओडिशा में बारिश, स्कूल बंद

एमपी-यूपी, बिहार में तेज बारिश की चेतावनी

एजेंसी मैसूरु। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अर्नब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह यनम के पास बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराने की आशंका है। इसे देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बचाव की तैयारियां की जा रही हैं।आंध्र प्रदेश के 16 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। विशाखापत्तनम में ऑरेंज अलर्ट है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और अनकापल्ली में तेज हवाओं और हल्की बारिश की आशंका है। ओडिशा के पुरी में भारी बारिश से जलभराव हुआ है। खुर्दा में भी बारिश हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर नावों का संचालन तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है और स्कूल भी बंद हैं।

मौसम विभाग ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंडमान-निकोबार में मंगलवार तक स्कूल बंद रहेंगे। चक्रवात के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।



चक्रवात ‘अर्नब’ का असर: रांची में दो दिन बंद रहेंगे केजी से 12वीं तक के स्कूल, हावड़ा-जगदलपुर समेत 14 ट्रेन रद्द

मुख्य एक्सप्रेस ट्रेनों में हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस (18005) 27 से 30 अक्टूबर तक, जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (18006) 28 से 31 अक्टूबर तक, राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस (18107) 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक, जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस (18108) 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, भुवनेश्वर-जगदलपुर एक्सप्रेस (18447) 27 से 30 अक्टूबर तक तथा विशाखापत्तनम-किरंदुल एक्सप्रेस (18515) 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पूरी तरह रद्द रहेंगी। इसके अतिरिक्त विशाखापत्तनम-कोरापुट एक्सप्रेस और कई पैसेंजर ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि लोग स्टेशन के लिए निकलने से पहले पूछताछ काउंटर, हेल्पलाइन नंबर या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ऐप के जरिए अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति अवश्य जांच लें।

राष्ट्रीय राजमार्ग के 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों के लिए रियायती लोकल पास शुरू करेगी सरकार

यह पास उन स्थानों पर भी जारी नहीं किया जाएगा, जहां यात्रियों के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है। ‘

एजेंसी नई दिल्ली । मोदी सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए ‘रियायती लोकल पास’ की शुरुआत की है। इसका फायदा एक नवंबर से उठाया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए रियायती लोकल पास का वार्षिक शुल्क 1,500 रुपए होगा, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपए होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य टोल प्लाजा के आसपास

रहने वाले पात्र निवासियों को यात्रा किफायती बनाने का विकल्प देना और स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को आसान



बनाना है। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक, जिनके पास वैध और चालू फास्टैग है, किसी विशेष टोल प्लाजा से आवागमन के लिए मौजूद

मासिक पास और रियायती लोकल पास में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा के लिए होगा, जहां टोल शुल्क की वसूली क्लोज्ड यूजर-फ्री कलेक्शन सिस्टम के आधार पर की जाती है। यह पास उन स्थानों पर भी जारी नहीं किया जाएगा, जहां यात्रियों के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है। ‘ वार्षिक लोकल पास 1 नवंबर से पात्र टोल प्लाजा पर उपलब्ध होगा। इसे राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकेगा। इस संशोधन को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

केंद्र की पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की कोई योजना नहीं - हरदीप पुरी

‘ई20 पेट्रोल की शुरुआत से देश को 1.60 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसमें से 1.40 लाख करोड़ रुपए किसानों को वापस मिले।’

एजेंसी बेतुल (दक्षिण गोवा)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार की फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मौजूदा 20 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। दक्षिण गोवा में 29वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान बातचीत में पुरी ने यह भी दावा किया कि जैव ईंधन को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘जहां तक जैव ईंधन की बात है, हां, पेट्रोल में 20

प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य था और फिलहाल इसे 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की कोई



योजना नहीं है। ‘ उन्होंने कहा कि ई20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा

ईंधन की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। उन्होंने आगे कहा कि ई20 ईंधन वाहनों के अनुकूल है। मंत्री ने बताया, ‘2003 से पहले निर्मित पुराने वाहनों में कुछ समस्याएं थीं। ‘

‘कुछ तो तमाशा होगा, अब मेरी बारी’

● किताब आने से पहले सोनिया गांधी का बयान, क्या कहें?

एजेंसी नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली किताब को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, यह किताब जब सामने आएगी, तो कुछ तमाशा होना तय है। उन्होंने कहा, दूसरे लोग दशकों से मेरी ‘कहानी’ बताते आ रहे हैं। अब मेरी बारी है। एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में सोनिया गांधी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे पूरी कहानी बतानी चाहिए या नहीं। जब मेरे पति से प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया, तो मैं इसके पूरी तरह खिलाफ थी।

उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा कि मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उसमें से बहुत-सी बातें सही नहीं थीं। कुछ बातें या तो गढ़ी गई थीं या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई थीं। इसलिए मुझे लगा कि अब मैं अपनी कहानी लिख सकती हूँ।

‘यह मेरा पक्ष नहीं, बल्कि मेरी कहानी है’ उन्होंने कहा, मैं तथ्यों और घटनाओं को वैसा बता सकती हूँ, जैसी वे वास्तव में थीं। यह मेरा पक्ष नहीं है। मैं इसे अपना पक्ष नहीं कहूंगी, बल्कि यह मेरी कहानी है। लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, कुछ लोगों की मेरे बारे में राय बदल सकती है। कुछ लोगों की राय पहले से भी खराब हो सकती है। लेकिन ऐसा ही है। जब आप कोई किताब लिखते हैं या सार्वजनिक

जीवन में होते हैं, तो ऐसा होता है। यहां की भाषा में कहें, तो तमाशा होना तय है।

कब रिलीज होगी किताब ?



सोनिया गांधी की पहली किताब, ‘बिलॉगिंग - अ जर्नी ऑफ लव’ 10 नवंबर को लॉन्च होगी। इसमें उन्होंने राजीव गांधी के साथ अपनी यादें और अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सफर के बारे में बताया है। इससे पहले 24 अक्टूबर अपने लगभग दो मिनट के वीडियो में, उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज में (पूर्व प्रधानमंत्री) राजीव गांधी से हुई थी। उन्होंने अपनी और राजीव गांधी की तस्वीरें दिखाई, साथ ही उस रेस्तरां की तस्वीर भी दिखाई जहां वे पहली बार मिले थे।

पहली बार कहां हुई राजीव गांधी से मुलाकात ?

अपने पहले ‘एक्स’ पोस्ट में उन्होंने बताया था, ‘कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को, मैं उस दुनिया को आपके साथ साझा करूंगी।’ वीडियो में तस्वीरें दिखाते हुए कांग्रेस नेता ने राजीव गांधी को एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य इंसान बताया। जब उनसे पूछा गया कि राजीव गांधी से प्यार होना कैसा था, तो उन्होंने कहा कि उन दिनों इंग्लैंड में खाना बहुत खराब होता था। तब आज की तरह इतने सारे रेस्तरां नहीं हुआ करते थे। इसलिए, मैं हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहती थी जहां मुझे अपने पसंद का खाना मिल सके। यानी इतालवी खाना। फिर हमें यह जगह (वर्सिटी रेस्तरां) मिली। यह एक ग्रीक रेस्तरां था, जहां कई यूरोपीय और भारतीय छात्र खाना खाते थे। और इसी रेस्तरां में मेरी मुलाकात राजीव से हुई।

मध्यप्रदेश कैबिनेट में बड़े फैसले

3378 करोड़ रुपए की 4 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

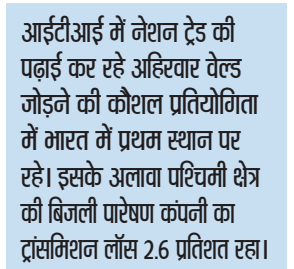
एजेंसी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि नर्मदा घाटी विकास की चार सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 3,378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सागर और सिवनी से संबंधित हैं। इसके साथ ही वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की तैयारियों और इसके विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। चेतन्य कश्यप ने बताया कि

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने को लेकर विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश के करीब 12 जिलों में वर्षा का स्तर निर्धारित मापदंड के



अनुसार 80 प्रतिशत से कम बताया जा रहा है, हालांकि सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए अभी प्रभावित क्षेत्रफल की समीक्षा की जा रही है। मंत्री ने कहा कि सूखा घोषित करने के दो मापदंड होते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले की स्थिति का अलग-अलग आकलन किया जाए और उसके आधार पर किसानों

को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में प्रशासनिक कार्यकाल के 25 वर्ष



पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान चलाया गया। इसके विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत 1,345 शिविर लगाए गए, जिनमें 17 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इसी तरह, सेवा ज्योति यात्रा के तहत 1,600

से ज्यादा यात्राएं निकाली गईं। ‘सेवा में मेरा योगदान’ कार्यक्रम में 11 प्रकार की सेवाओं को चिन्हित कर जन-जागरूकता बढ़ाई गई और 50 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही। ‘नमो सेवा नुक्कड़’ के माध्यम से ट्रॉलियों पर देश के विकास की गाथा प्रस्तुत की गई। इसमें वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कश्यप ने कहा कि पिछले डेढ़ सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश को तीन से चार क्षेत्रों में पुरस्कार मिले हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और पर्यटन से संबंधित पुरस्कारों का भी उल्लेख किया गया। प्रदेश के पर्यटन विभाग को स्टेट टूरिज्म ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला। विश्व कौशल प्रतियोगिता में पन्ना जिले के युवा अजय अहिरवार ने भी देश का प्रतिनिधित्व किया।

‘किसानों को परेशान किया तो होगी कार्रवाई’, जबरन वसूली पर ऋणदाताओं को शिंदे की चेतावनी

‘तुरंत सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें। राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है।’

एजेंसी मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सूक्ष्म वित्त संस्थानों, निजी साहकारों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और बैंकों को सूखा प्रभावित किसानों से ऋण चुकाने के लिए दबाव डालने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार मानसिक उत्पीड़न या जबरन वसूली को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिससे परेशान किसान चरम कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन किसान समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है। मुंबई में पत्रकारों को

संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने राज्य के ज़ीरो टोलरेंस के रुख पर जोर दिया। उन्होंने नादेड़ में हाल ही



में हुई आक्रामक ऋण वसूली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे वह सूक्ष्म वित्त फर्म हो, वित्त कंपनी हो, बैंक हो या निजी साहकार, किसान को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों को डराने-धमकाने या उन्हें दफ्तरों में हिरासत में लेने की कोशिश करने वाले वसूली एजेंटों

रिजर्व बैंक (आरबीआई), वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ चर्चा के बाद दफ्तरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वसूली एजेंटों द्वारा निशाना बनाए जाने से घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको मुआवजा दिलाने के लिए दबाव डाले, तो डरें नहीं।

स्तरहीनता एवं विरोध की भाषा में उलझती कांग्रेस



ललित गर्ग

खड़गो कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता हैं और लंबे
राजनीतिक अनुभव के
साथ पार्टी के राष्ट्रीय
अध्यक्ष की जिम्मेदारी
निभा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति
से सार्वजनिक मंच पर
अधिक संयम और
विवेक की अपेक्षा
स्वाभाविक है।
राजनीतिक सभा में
कोई प्रतिकूल टिप्पणी
हो जाए, तो उसका उत्तर
तर्क, तथ्य और
आत्मविश्वास से दिया
जा सकता है।

ला कतंत्र में सत्ता और विपक्ष एक-दूसरे के विरोधी अवस्थ होते हैं, लेकिन उनकी भाषा शत्रुता की नहीं, वैचारिक प्रतिस्पर्धा की होनी चाहिए।
 राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र की शक्ति हैं, पर जब ये मतभेद व्यक्तिगत कटाक्ष, पारिवारिक टिप्पणियों और अपमानजनक शब्दों में बदलने लगते हैं, तब राजनीति का स्तर गिरता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा प्रभावित होती है। भारतीय राजनीति में प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस के अनेक नेताओं की आक्रामक टिप्पणियों और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पटना में दिए गए विवादालाप्येद बिना ये एक बार फिर भाषाई मर्यादां पर गंभीर समस्या खड़े किए हैं। 25 अक्टूबर 2026 को पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में खड़गे की एक टिप्पणी राजनीतिक विवाद का कारण बन गई। कार्यक्रम में उपस्थित एक व्यक्ति की टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कहा, 'मोदी का बाप भी जाएगा।' इस बयान की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तीखी अलोचना की। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस बयान को वैचारिक संदर्भ में समझाने का प्रयास किया।
 समस्याओं के अनुसार संबंधित व्यक्ति ने भी बाद में कहा कि उसकी पूरी बात नहीं सुनी गई थी। इस घटनाक्रम के विभिन्न पक्ष अपनी-अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन विवाद से अलग एक बुनियादी प्रश्न अपनी जगह कायम है-क्या देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर असौजन्य व्यक्ति के प्रति विरोध जताने का यही तरीका होना चाहिए?

बड़े काँग्रेस के वंशज नता है और लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे संस्थापक के सार्वजनिक मंच पर अधिक समय और निष्पक्ष की अपेक्षा स्वाभाविक है। राजनीतिक सभा में कोई प्रतिकूल आत्मविश्वास से दिया जा सकता है। लेकिन जब जब बड़ा व्यापकता संबंधों और परिवार तक पहुंच जाते हैं, तब मुझे गंभीरता पीछे छूट जाती है और शब्दों का विवाद मुख्य समझाया वन जाता है। राजनीति में शब्द केवल वक्ता की प्रतीकाल प्रतिक्रिया नहीं होते, वे उसीका सार्वजनिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक संस्कारों की परीक्षा लेते हैं। काँग्रेस की राजनीति में नरेंद्र मोदी को लेकर तीखे और विवादास्पद वक्तव्यों का इतिहास भी इस बहस को व्यापक संदर्भ देता है। वर्ष 2007 में सोनिया गांधी ने गुजरात विधायक चुनाव के दौरान मोदी के लिए 'मौत का साँदगर' शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनगर अख्यर की 'चायवाला' संबंधी टिप्पणी ने भी बड़ा राजनीतिक विवाद



पेदा किया। बाद के वर्षों में राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर हैं' नारे ने राजनीतिक बहस को व्यक्तिगत आरोपों की दिशा में मोड़ा। इन बयानों के पीछे अपने-अपने राजनीतिक संदर्भ और बकाओं की दलीलें रही हैं, लेकिन इनका सार्वजनिक प्रभाव इस प्रश्न को सामने लाता है कि क्या किसी नेता की आलोचना उसके कामकाज तक सीमित रखी जा सकती है, अथवा उसके व्यक्तिगत उद्धार का विषय बनाना आवश्यक सामान्य ज्ञाने लगा है?

प्रियका गांधी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी मांदी और उनका सरकार के विरुद्ध कई अवसरों पर तीखे राजनीतिक हमले हमले किए हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तीखी आलोचना अपने आप में अमर्यादित नहीं होती। सरकार की नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सुदृढ़ता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और और प्रशासनिक निर्णयों पर कठोर तबाल उठाना विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब नीतिगत अहमर्षित को व्यक्तिगत अपमान से जोड़ दिया जाता है और तब के स्थान पर कटाक्ष को राजनीतिक प्रभाव का माध्यम बनाया जाने लगता है। किसी नेता के प्रत्येक बयान को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं, लेकिन बार-बार होने वाले विवादों से राजनीतिक भाषा के स्तर पर विचार करने की आवश्यकता अवश्य पैदा होती है। यहां कांग्रेस के समने एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष के रूप में उसकी सार्थकता इस

मात से तय होगी कि वह जनता के जीवन से जुड़े प्रश्नों पर कितना प्रभाव विमर्श खड़ा करती है। किसानों की समस्याएँ, युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ठोस विक्त्य प्रस्तुत करना उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि सार्वजनिक चर्चा बार-बार प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणियों तक सिमट जाती है, तो नीतिगत महसूस पीछे छूटने का खतरा रहता है। इससे विपक्ष की आलोचना का वास्तविक आधार भी कमजोर पड़ सकता है। राजनीतिक विमर्श में मुद्दों की जगह व्यक्तियों को केंद्र में रख देने से लोकतंत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व एक अनूठी वैश्विक पहचान भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी विदेश यात्राएँ, विभिन्न देशों के नेतृत्व के साथ संवाद, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भागीदारी और आर्थिक एवं राजनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने के प्रयास उनकी वैश्विक भूमिका से जुड़े हैं। उनके समर्थक इन गतिविधियों को भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि के रूप में देखते हैं। साथ ही, किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल का निष्पक्ष आकलन केवल अंतरराष्ट्रीय छवि से नहीं, बल्कि घरेलू नीतियों, आर्थिक परिणामों, सामाजिक समानता और शासन के रिकॉर्ड से भी किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि नेतृत्व की उपलब्धियों का सम्मान हो

और उसके निर्णयों की आलोचनात्मक समीक्षा भी संभव बनी रहे। यह भी विचारगणनीय है कि किसी नेता के विरुद्ध जितनी अधिक व्यक्तिगत और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है, उतना ही उसके समर्थकों में प्रतिक्रिया की भावना पैदा हो सकती है। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कांग्रेस की आलोचना का राजनीतिक असर हमेशा एक जैसा रहा हो, ऐसा निष्कर्ष निकालना तथ्यों से परे होगा। चुनावी परिणाम अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं—नेतृत्व, संगठन, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, गठबंधन और मतदाताओं की अपेक्षाएं। फिर भी, यह एका महत्वपूर्ण राजनीतिक जोखिम है कि यदि विश्व अपनी आलोचना को प्रमाण और नीतिगत विकल्पों के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आधारित करता है, तो वह अपनी बात जतना तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएगा का अवसर खो सकता है। इसके विपरीत भाजपा को भी केवल विरोधियों के विवाददास्यद बयानों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने कामकाज और नीतियों के आधार पर जनता के सामने जवाबदेह रहना चाहिए।

राजनीति की भाषा समाज के व्यवहार को प्रभावित करती है। जब शीर्ष नेता सार्वजनिक मंचों पर संयम खोते हैं, तब उनके समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भी कदुता बढ़ने की आशंका रहती है। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को और तेज कर देता है, जहां किसी बयान का छोट-सा अंश पर विमर्श पर हावी हो सकता है। इसलिए नेताओं को बोलने से पहले शब्दों के सामाजिक प्रभाव और पद की गरिमा पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को अपमानित करना और उसके तर्कों को पराजित करना दो अलग बातें हैं, लेकिन दोनों में दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति हो या भाषाजु, किसी भी दल की वास्तविक अंतर्गतिक शक्ति उसकी भाषा की आक्रामकता से नहीं, बल्कि उसके विचारों, नीतियों, जससेवा और जनता के विश्वास से निर्धारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना लोकतांत्रिक अधिकारों है, लेकिन आलोचना तथ्यों और तर्कों पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हों या सत्तापक्ष के अन्य नेता सभी से अपेक्षा है कि वे असहमति को अपमान में न बदलें। राजनीति में शब्दों की मर्यादा कोई औपचारिक सिद्धान्त नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता बदलेगी, नेता बदलेंगे और दलों की स्थितियां बदलेंगी, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बोले गए शब्द लंबे समय तक समाज की स्मृति में रहते हैं। इसलिए राजनीति को कदुता की नहीं, सवादी भाषा चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों की विजय होनी चाहिए, व्यक्तिगत अपमान को नहीं।

संपादकीय

पराली की तपिश

यह विवर्धना ही है कि जब देश की राजधानी में प्रदूषण की गंभीरता दिखायी देती है तो देश के नीति-निश्चयी पारली निस्तारण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं। अभी कोई अंतिम वैज्ञानिक अध्ययन भी सामने नहीं आया है कि पंजाब या अन्य राज्यों में पारली जलाने की प्रदूषण में कितनी फीसदी भूमिका है। लेकिन एक बात तो तय है कि पारली निस्तारण के जो भी विकल्प दिए जाते हैं, वे समय के अनुसूप किसान की सुविधा व आर्थिकी के अनुरूप नहीं हैं। यदि ये उपाय कारगर होते तो पारली प्रबंधन पर खर्च किए जाने वाले हजारों करोड़ रुपये पर एक छोटी-सी माफिस भारी न पड़ती। किसान अपने खेतों में पारली को बार-बार यदि आकर के हवाले करते हैं तो उसके पीछे का कड़वा सच यह भी है कि यह धान के अवशेषों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की तुलना में, पारली जला देना उसे सुविधाजनक, सस्ता तात्कालिक निस्तारण का विकल्प नजर आता है। निस्संदेह, जब तक आर्थिक रूप से लाभप्रद विकल्प किसान को नहीं दिया जाता, तब तक केवल सब्सिडी देने या दंडात्मक कार्रवाई करने के बहुत सीमित परिणाम ही सामने आएंगे। सूत्रों के अनुसार पंजाब में 15 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच खेतों में पारली जलाने की 574 घन्टाएँ दर्ज की गई हैं। यह पिछले साल के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो इसी अवधि में 561 घन्टाएँ ही सामने आई थीं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 270 घन्टाएँ अकेले तरनतारन में और 144 घन्टाएँ अमृतसर के इलाके में सामने आई हैं। जो बताती है कि इन दोनों इलाकों में विशेष रूप से ध्यान देने और पारली जलाने से रोकने के लिये ठोस काम उठाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में अभी भी धान की फसल काटने का मौसम चल रहा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस साल पारली प्रबंधन के लिये 576 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा सब्सिडी वाली लगभग 21,155 गावों में उपलब्ध कराई गई थीं।

दरअसल, सरकार आर्थिक मदद के बावजूद किसानों का मशीनों का चलाये के खर्च, धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय समय मिलने और जरूरत के समय मशीनों न मिल पाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक तरीके से पराली प्रबंधन करने में प्रति एकड़ दो हजार से लेकर ढाई हजार रुपये तक खर्च आ सकता है। तभी आसानी चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को पराली जलाना सबसे आसान विकल्प लगता है। हालांकि, शासन व प्रशासन ने पराली जलाने से रोकने के लिये सख्ती बढ़ा दी है। सूखों के अनुसार अब तक पराली जलाने के मामले में 113 प्रार्थमिकी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड में 205 रेड एंटी की गई हैं। साथ ही 11.4 लाख रुपये का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आर्थिक दंड लगाया गया है। निस्संदेह, देश में व्याप्त पर्यावरण संकट के मद्देनजर ऐसी कार्रवाई करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि खेतों में पराली जलाने से समाज को प्रदूषण के रूप में सहेत के लिये भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि, केवल जुआनी लगाने से व्यावहारिक विकल्पों की कमी पूरी नहीं हो सकती। साथ ही, साफ हवा बचाने रखने की पूरी कीमत अकेले किसानों को ही नहीं चुकानी चाहिए। दरअसल, प्रार्थमिकता बढ़ रहे कि फसल अवशेषों का प्रबंधन सस्ता और सहज-सुलभ हो। इसके लिये पराली एकत्र करने और उसे ढोने के लिये जरूरी मशीनों यानी बेलस की कमी को भी दूर किया जाना चाहिए। किसानों को बायोमास पावर प्लांट, ईट-भट्टों और अन्य उद्योगों से जोड़ने वाले भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराकर, कृषि अवशेषों को एक आर्थिक संसाधन में बदला जा सकता है। इसके साथ ही बिना आए लगाए पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जाना चाहिए। सही मायने में सफलता को इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि कितने खेतों को बिना जलाये साफ किया गया, न कि इस आधार पर कि कितना पैसा खर्च हुआ। या फिर कितनी मशीनों बांटी गईं इस दिशा में पंजाब में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उद्योगों और किसानों को तालमेल के साथ काम करना चाहिए।

सूक्ति

जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और पंडित होकर भी मूर्ख है।

- रामप्रताप

विश्व के निर्माण में जिसने सबसे अधिक संघर्ष किया है और सबसे अधिक कष्ट उठाए हैं वह माँ है।

– हर्ष मोहन



गंतिलाल मांडोत

फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयानों से उठते सवाल और राष्ट्रीय हितों की कसौटी
कश्मीर की पहचान और सुरक्षा का आधार
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है या पाकिस्तान की
अंतरराष्ट्रीय बयानबाजी...

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में फारूक अब्दुल्ल ख़ान से प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और तीन बार फारूक की मूख्यमन्त्री रह चुके फारूक अब्दुल्ल के राजनीतिक बयानों का असर केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ता है। उनके बेटे और अब्दुल्ल इस समय जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री हैं। ऐसे में फारूक अब्दुल्ल का हर बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इसलिए कश्मीर के लोग बचे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से कायदा की उम्मीद नहीं है और दुनिया के देवार के तयार दिल्ली चुप है। उनके इस बयान ने एक बार फिर राष्ट्रीय हितां, कश्मीर की पहचान और

पंचायती राज चुनाव-2026 : फर्जी मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार करने जैसी अनियमितताएं रोकने के लिए ई-मित्र केन्द्रों का निरीक्षण अभियान जारी

जिला कलक्टर के निर्देश पर संयुक्त
टीमों ने दूसरे दिन 38 ई-मित्र केंद्रों
का किया औचक निरीक्षण

सामुदायिक प्रेषण

दीक्षा / रामकेश गुर्जर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने तथा फर्जी मतदाता पहचान प्रपत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार करने जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ई-मित्र केंद्रों के निरीक्षण का अभियान निरंतर जारी है। जिला कलक्टर एवं जिला ई-मित्र समिति अध्यक्ष डॉ. सोनिया झा के निशानुसार मंगलवार को जिले में संचालित 38 ई-मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (आंतरिकतः जिला कलक्टर) अखिल शर्मा ने बताया कि जिले में उपखंड अधिकारियों के निर्देशन में संयुक्त टीमों द्वारा ई-मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसके माध्यम से ई-मित्र केंद्रों पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता, निर्धारित दरों की पालना तथा दस्तावेजों से संबंधित अनियमितताओं की जांच की गई। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारों ई-मित्र केंद्रों पर आमजन को विभागीय दिशानिर्देशों एवं सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराते हुए पाया गया। कुछ केंद्रों पर टेल्ड प्रदर्शित नहीं करने जैसे अनियमितता सामने आई, जिन पर विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शास्ति आरोपित कर दिए गए उन्हें नियमानुसार कार्य करने के लिए पाबंद किया गया।



मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ई-मित्र केंद्रों पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित चंचाळकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृत्रिम चतुर्दशे दस्तावेज तैयार करने अथवा गंभीर अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने पर लाइसेंस नष्ट करने सहित नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत रज चुनाव-2026 के मद्देनजर ई-मित्र केंद्रों की निगरानी में निरीक्षण का अभियान निरंतर जारी रखा जाएगा, ताकि आमजन को परदर्शी एवं नियमानुसार सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो सकें तथा मतदाता पहचान एवं दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

पहले दिन 73 ई-मित्र केंद्रों का किया था निरीक्षण

उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर एवं जिला ई-मित्र समिति अध्यक्ष डॉ. सौम्या झा के निर्देशानुसार सोमवार को भी जिले में संचालित 73 ई-मित्र केंद्रों का औपचारिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान 6 केंद्रों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं करने एवं 4 केंद्रों पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने जैसी अनियमितताएं सामने आई थीं, जिन पर विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शास्ति आरोपित करते हुए नियमानुसार कार्य करने के लिए पाबंद किया गया था।

राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी नेता को धार्मिक आधार पर राजनीति के आरोप लगाने से पहले अपने राजनीतिक कार्यक्रम और अपनी पार्टी की धूमिका और भी आत्मदर्शन करना चाहिए। कम्युनि की प्रचान किसी एक धर्म, दल या नेता तक सीमित नहीं है। इसमें कम्युनि पीड़ितों का विस्थापन, आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की पीड़ा, सीमावर्ती नागरिकों की कठिनाइयाँ और सभी समुदायों की आकांक्षाएँ शामिल हैं।

आहूक अब्दुल्लाह के बयानों की आलोचना करते समय अनेक राजनीतिक विचारों और उनके समुदाय के प्रति भावनाओं को एक ही नजरिये से देखना भी उचित नहीं होगा। किसी नेता की मंशा पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय उसके सार्वजनिक बयानों, नीतियों और उनके प्रभावों का तथ्यात्मक विश्लेषण होना चाहिए। लोकतंत्र में असमर्थता का अधिकार सभी को है, लेकिन राष्ट्रीय सुस्था जैसे सेवेन्द्रशील विषयों पर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं निकलेगा। केंद्र सरकार को नागरिकों की शिकायतों का निपट्य समाधान करना चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए और विकास योजनाओं का लाभ अधिक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए।

प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व को भी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता से जोड़ना चाहिए, ताकि वे हिंसा तथा कट्टरता के प्रभाव से दूर रह सकें। आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ निदोष नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 6 कार्मिक निलंबित

सामुदायिक प्रेषण

दौसा / रामकेश गुर्जर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत द्वितीय चरण के मतदान के लिए मतदान दलों की खानगी से पहले आयोजित अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने तथा प्रशिक्षण में उपस्थित होने के बाद बिना सूचना के नदारद होने के मामले में छह कार्मिकों को निर्लांबित किया गया है। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल ने बताया कि 27 अक्टूबर को मतदान दलों की खानगी से पूर्व आयोजित अंतिम प्रशिक्षण में श्री अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट के व्याख्याता मुकेश कुमार मीना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुरीकला के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भीमराम योगी, नगर परिषद दौसा के सफाई कर्मचारी पप्पू एवं रामहेत टोपिया, पीएचडी उपखंड दौसा सहायक अभियंता कार्यालय के सहायक अमित शर्मा अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवाण के पुस्तकालय अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा प्रशिक्षण में उपस्थित होने के बाद बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण स्थल से नदारद हो गए। इस प्रकार कुल छह कार्मिकों द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के मामले सामने आए।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सभी छह कार्मिकों को निर्लांबित किया गया है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में जांच की प्रक्रिया भी विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में सौंपे गए दायित्वों का समय पर निर्वहन करना प्रत्येक कार्मिक की ज़िम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

जिला परिषद के 13 एवं पंचायत समिति के 98 वार्डों में होंगे चुनाव

पंचायत आम चुनाव-2026 , द्वितीय चरण में छह पंचायत समिति क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को होगा मतदान

अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए

373482 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग , मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक

सामुदायिक प्रेषण

दौसा / रामकेश गुर्जर। पंचायत आम चुनाव-2026 के अंतर्गत जिले में द्वितीय चरण में बैजूपाड़ा, बांदीकुई, बसवा, महवा, मण्डावर एवं मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद के 13 एवं पंचायत समिति के 98 वार्डों में 28 अक्टूबर को चुनाव होगा। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक ईवीएम से होगा। मतदान दल जिला मुख्यालय से मंगलवार को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने बताया कि द्वितीय चरण में 28 अक्टूबर को बैजूपाड़ा पंचायत समिति के 15 वार्डों में 24036 पुरुष एवं 21227 महिलाओं सहित कुल 45263 मतदाता, बांदीकुई के 23 वार्डों में 60138 पुरुष एवं 55084 महिलाओं सहित कुल 115222 मतदाता एवं बसवा के 15 वार्डों में 27449 पुरुष एवं 24238 महिलाओं सहित कुल 51687 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार महवा के 15 वार्डों में 33254 पुरुष एवं 29950 महिलाओं सहित कुल 63204 मतदाता, मंडावर के 15 वार्डों में 21673 पुरुष एवं 19067 महिलाओं सहित कुल 40740 मतदाता तथा मनोहरपुर खेड़ला के 15 वार्डों में 30628 पुरुष एवं 26738 महिलाओं सहित कुल 57366 मतदाता



अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इस दौरान जिला परिषद के वार्ड संख्या 24 से 36 तक के लिए मतदान होगा। इस प्रकार इन छह पंचायत समिति के 98 वार्डों तथा जिला परिषद के 13 वार्डों में 3 लाख 73 हजार 482 मतदाता जिनमें 197178 पुरुष एवं 176304 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

30 अक्टूबर को होगा सरपंच एवं वार्ड पंच के चुनाव

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण में 30 अक्टूबर को बैजूपाड़ा, बांदीकुई, बसवा, महवा, मण्डावर एवं मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति क्षेत्रों में 141 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 1223 वार्डों में पंच का चुनाव होगा। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतपत्रों के माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि बैजूपाड़ा की 18 ग्राम पंचायत एवं 148 वार्ड, बांदीकुई की 44 ग्राम पंचायत एवं 380 वार्ड, बसवा की 18 ग्राम पंचायत

एवं 166 वार्ड, महवा की 23 ग्राम पंचायत एवं 201 वार्ड, मंडावर की 15 ग्राम पंचायत एवं 133 वार्ड तथा मनोहरपुर खेड़ला की 23 ग्राम पंचायत एवं 195 वार्ड में चुनाव होगा।

मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेज से कर सकेंगे मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता EPIC प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेगा। इनमें आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और



आजीविका मिशन (ग्रामीण)/मनरेगा कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों को जारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएंबिलिटी आईडी (छद्म) कार्ड शामिल हैं। पहचान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन पर्यवेक्षक ने लिया मतदान दल रवानगी व्यवस्थाओं का जायजा

पंचायत आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के तहत होने वाले चुनाव के लिए मतदान दल मंगलवार को यहां पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से अंतिम

प्रशिक्षण के बाद आवश्यक निर्वाचन सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा, निर्वाचन पर्यवेक्षक गोपाल राम बिरदा तथा पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरीया ने मतदान दलों की रवानगी एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदोचंद गंगवाल, नगर विकास न्यास सचिव गंगाधर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकरलाल सहित संबंधित पंचायत समितियों के रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।



निर्वाचन पर्यवेक्षक ने चुनाव व्यवस्थाओं की जानकारी ली

निर्वाचन पर्यवेक्षक गोपाल राम बिरदा मंगलवार को दौसा पहुंचे। उन्होंने चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने मतदान दलों के प्रशिक्षण एवं रवानगी व्यवस्था का निरीक्षण करने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्ट्रांग रूम, कंट्रोल रूम सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निर्वाचन पर्यवेक्षक से संपर्क के लिए दूरभाष एवं मोबाइल नंबर जारी

पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ के प्रभारी मेघराज मीणा ने बताया कि निर्वाचन पर्यवेक्षक गोपाल राम बिरदा से संपर्क करने तथा चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दूरभाष एवं मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। आमजन निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार के परिवाद अथवा शिकायत के लिए दूरभाष नंबर 01427-294238 एवं मोबाइल नंबर 7014021914 पर संपर्क कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की मतदाताओं से अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाते हुए अपने

मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान के लिए घर से निकलते समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल पहचान दस्तावेज अपने साथ अवश्य लेकर आए।

आध्यात्मिक जागृति की अविरल सरिता में सम्पन्न हुआ 79वाँ निरंकारी संत समागम

‘ब्रह्मज्ञान की शिक्षाओं को जीवन में उतारना ही जागृति निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज

सामुदायिक प्रेषण

रामसिंह रावत / रघुनाथपुरा / बड़ीसादड़ी । ब्रह्मज्ञान की वास्तविक सार्थकता उसे जीवन में अपनाने और अपने विचारों, व्यवहार एवं कर्मों में शामिल करने में है। ये दिव्य भाव निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 79वें वार्षिक निरंकारी संत समागम, समालखा हरियाणा के समापन दिवस पर लाखों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने पावन आशीर्वाचनों द्वारा प्रदान किए जागृति की आध्यात्मिक प्रेरणाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर स्वयं के उत्थान के साथ-साथ जगत कल्याण की भावना को सुदृढ़ करने वाला यह पावन संत समागम कल रात्रि प्रेम, भक्ति एवं श्रद्धा से ओतप्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। समागम से आध्यात्मिक प्रेरणा और मधुर स्मृतियां लेकर श्रद्धालु भक्तजन धीरे-धीरे अपने-अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करने लगे जीवन के हर पल में परमात्मा का अहसास सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने विशाल मानव परिवार को सम्बोधित करते हुए फरमाया कि जागृति केवल सत्संग या समागम तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में निराकार



कर्मों में अपनाएं । सतगुरु माता जी ने सकारात्मक सोच, प्रेम, करुणा और विनम्रता अपनाने तथा दूसरों की कमियों के बजाय उनकी खूबियों को देखने की प्रेरणा दी। सच्ची जागृति का आरंभ अपने घर-परिवार और निजी जीवन से होता है। सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन का अभिन्न अंग मानकर हर परिस्थिति में परमात्मा का एहसास बनाए रखना ही जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक रूप प से समृद्ध बनाता है

सचिव जोगिंदर सुखीजा ने जताया आभार

इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के सचिव आदरणीय श्री जोगिंदर सुखीजाने सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन दर्शन कर उनके दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही समस्त साध-संगत तथा समागम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सरकारी विभागों का हार्दिक आभार



कवि दरबार बना आकर्षण का केंद्र

इस वर्ष समागम के चारों दिन आयोजित कवि दरबार में बाल कवियों सहित महिला एवं पुरुष कवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर 80 कवियों ने 'जागृति' विषय पर आधारित अपनी स्वरचित कविताएं हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, अंग्रेजी, हरियाणवी, मुलतानी, मराठी, भोजपुरी एवं संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत कीं। इन भावपूर्ण काव्य प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया इस प्रकार 79वाँ वार्षिक निरंकारी संत समागम सतगुरु के दिव्य संदेश, प्रेम, भक्ति एवं मानवता के भावों से ओतप्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। निःसंदेह यह पावन संत समागम आध्यात्मिक जागृति एवं सद्भाव का अनुपम संगम बना जिसने अनेकता में एकता और संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में पिरोने का दिव्य संदेश दिया उक्त जानकारी निरंकारी मिशन बड़ीसादड़ी के संगत इंचार्ज राधेश्याम रेगर ने दी

प्रकट किया उन्होंने इस वर्ष समागम में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्य में भी संगत की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की मंगलकामना की।

पंचायतीराज आम चुनाव 2026: नांगल राजावतान में संयुक्त टीम ने मतदान केन्द्रों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश



सामुदायिक प्रेषण

नांगल राजावतान/रोशन लाल मीणा । पंचायतीराज आम चुनाव 2026 की तैयारियों को सुचारू, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मंगलवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुलिस उपअधीक्षक एवं विकास अधिकारी नांगल राजावतान की संयुक्त टीम ने विभिन्न ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत ठिकरिया, आलूदा, आलूदा खुर्द, महाराजपुरा, श्यालावास, गोठड़ा एवं आमटेडा के मतदान केंद्रों का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा

व्यवस्था का गहन जायजा लिया। टीम ने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैप जैसी आधारभूत सुविधाओं, मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों का बारीकी से अवलोकन किया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और समय रहते सभी तैयारियां पूरी की जाएं। संयुक्त टीम ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की ताकीद करते हुए कहा कि चुनावी कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाना है।

पंचायत आम चुनाव-2026 : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर 11 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस

प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का मामला, स्पष्टीकरण मांगा

सामुदायिक प्रेषण

दौसा रामकेश गुर्जर। पंचायत आम चुनाव-2026 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन

के मामलों में जिला स्तर पर गठित आदर्श आचार संहिता एवं शिकायत प्रकोष्ठ ने सख्ती बरतते हुए 11 राजकीय कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। संबंधित कार्मिकों पर प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का मामला सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है।

प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीणा ने बताया कि प्रकोष्ठ के संज्ञान में आए मामलों के अनुसार नूरपुर निवासी राजस्थान रोडवेज कर्मचारी शिम्भू दयाल गुर्जर, सायपुर निवासी बैंक मैनेजर राकेश मीना, सायपुर निवासी पटवारी पवन मीना, नौरंगवाड़ा निवासी

दिल्ली पुलिस कार्मिक नाहर सिंह मीना, नौरंगवाड़ा निवासी लाइनमैन विजय मीना, कायमपुर निवासी रेलवे ग्रुप-डी कार्मिक मनसुख मीना, मेहंदीपुर बालाजी निवासी राजस्थान परिवहन विभाग कार्मिक धीरसिंह मीना, मेहंदीपुर बालाजी निवासी दिल्ली पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार मीना, मेहंदीपुर

बालाजी निवासी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार मीना, मेहंदीपुर बालाजी निवासी दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता राजाराम मीना तथा सुमेल कला निवासी राजस्थान पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सुरजान सिंह गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।उन्होंने संबंधित

कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। प्रथम दृष्टया संबंधित गतिविधियां राजकीय कार्मिकों से अपेक्षित निष्पक्षता, तटस्थता एवं आचरण संबंधी नियमों के विपरीत

पाई गई हैं। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उनके संबंधित विभागों को अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी भेजी जाएगी।

